प्रा.पत्र मुन्त./15/2026 न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

मोहन सिंह आयु 47 साल पुत्र श्री नथोली मीना निवासी ग्राम चौखण्डा, तहसील बयाना जिला भरतपुर

.....प्रार्थी0

बनाम

अमरसिह आयु 56 साल पुत्र श्री नथोली मीना, निवासी ग्राम चौखण्डा, हाल निवासी दमदमा रोड, सिविल लाईन सैक्टर–2 (मन्दिर के पास) कस्बा बयाना, तहसील बयाना जिला भरतपुर

..... अप्रार्थी0

प्रार्थना पत्र मुन्तकिली विरुद्ध श्री दीपक मित्तल उपखण्ड अधिकारी बयाना वमुकदमा संख्या 58/2025 उनवानी अमरसिंह बनाम मोहन सिंह

उपस्थितः–

1–श्री विमल सिंह अभिभाषक प्रार्थी,

2–श्री प्रमोद कुमार उपमन अभिभाषक अप्रार्थी

निर्णय

दिनांक 13.05.2026

प्रार्थी ने यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र विरुद्ध अप्रार्थी इस आशय का पेश किया गया है, संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि एक दावा मुकदमा संख्या 58/2025 उनवानी अमरसिंह बनाम मोहन सिंह न्यायालय उपखण्डाधिकारी बयाना में लम्बित है। वकील प्रार्थी का कथन है कि अप्रार्थी अमर सिंह जो वादपत्र का वादी है वह राज0 सरकार में अधिकारी पद पर तैनात है व इस समय उपकोषाधिकारी के पद पर उपकोष कार्यालय बयाना में पदस्थापित है। जो पीठासीन अधिकारी दीपक मित्तल के सरपरस्त कर्मचारी है। अप्रार्थी अमरसिंह को उपखण्डाधिकारी बयाना के यहॉ आते–जाते रहते हैं। अप्रार्थी को यह कहते हुये सुना है मेरी पीठासीन अधिकारी से बात हो गई हैं। मुकदमा का निर्णय मेरे पक्ष में ही होगा और प्रार्थी की सुनवाई नहीं की जावेगी। अप्रार्थी अपने पद का दुरूपयोग कर व पीठासीन अधिकारी से सांठ–गांठ कर उक्त प्रकरण में निर्णय अपने हक में कराने की फिराक में है। उक्त मुकदमे में पीठासीन अधिकारी व्यक्तिगत रूचि ले रहे हैं तथा प्रकरण को गैरप्रार्थीगण के पक्ष में निर्णय करने को उतारू हैं। इसलिये प्रार्थना पत्र मुन्तकिली स्वीकार किया जाकर न्यायालय उपखण्डाधिकारी बयाना में विचाराधीन मुकदमा संख्या संख्या 58/2025 उनवानी अमरसिंह बनाम मोहन सिंह को किसी अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित किया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी की ओर से अभिभाषक प्रमोद कुमार उपमन उपस्थित आये। प्रार्थना पत्र पर उपखण्ड

.....2

जिला कलक्टर
भरतपुर

अधिकारी बयाना से टिप्पणी तलब की गई। उपखण्ड अधिकारी बयाना से प्राप्त टिप्पणी शामिल मिसिल की गई। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक प्रार्थी0 ने प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दोहराते हुये बताया कि पीठासीन अधिकारी उक्त मुकदमे में पीठासीन अधिकारी व्यक्तिगत रूचि ले रहे हैं तथा प्रकरण में नजदीक तारीख पेश दे रहे हैं। अप्रार्थी अमर सिंह जो वादपत्र का वादी है वह राज0 सरकार में अधिकारी पद पर तैनात है व इस समय उपकोषाधिकारी के पद पर उपकोष कार्यालय बयाना में पदस्थापित है। जो पीठासीन अधिकारी दीपक मित्तल के सरपरस्त कर्मचारी है। अप्रार्थी अमरसिंह को उपखण्डाधिकारी बयाना के यहॉ आते–जाते रहते हैं। अप्रार्थी को यह कहते हुये सुना है मेरी पीठासीन अधिकारी से बात हो गई हैं। मुकदमा का निर्णय मेरे पक्ष में ही होगा और प्रार्थी की सुनवाइ नहीं की जावेगी। अप्रार्थी अपने पद का दुरूपयोग कर व पीठासीन अधिकारी से सांठ–गांठ कर उक्त प्रकरण में निर्णय अपने हक में कराने की फिराक में है। उक्त मुकदमे में पीठासीन अधिकारी व्यक्तिगत रूचि ले रहे हैं तथा प्रकरण को गैरप्रार्थीगण के पक्ष में निर्णय करने को उतारू हैं। इसलिये प्रार्थना पत्र मुन्तकिली स्वीकार किया जाकर न्यायालय उपखण्डाधिकारी बयाना में विचाराधीन मुकदमा संख्या संख्या 58/2025 उनवानी अमरसिंह बनाम मोहन सिंह को किसी अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने का निवेदन किया है।

योग्य अभिभाषक अप्रार्थी की बहस सुनी गई। अभिभाषक अप्रार्थी ने दौराने बहस निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र मुन्तकिली में झूठे एवं बेबुनियाद आरोप लगाये गये हैं। अप्रार्थी उपकोषाधिकारी बयाना के पद पर पदस्थापित होना स्वीकार है। शेष बातें गलत एवं मनगढंत हैं। न्यायालय उपखण्डाधिकारी बयाना के समक्ष सन 2024 में बटवारे का दावा प्रस्तुत किया गया है। जिसमें केवल मुकदमा जमीनी बटवारे का 1/2 हिस्सा किया जाना है। पीठासीन अधिकारी द्वारा पूर्ण निष्पक्ष रूप से विधिवत सुनवाई की जा रही है। उपखण्डाधिकारी बयाना से अप्रार्थी0 की कोई बातचीत नहीं है। प्रार्थी दावा का निस्तारण नहीं होने देना चाहता है। उपखण्डाधिकारी बयाना द्वारा समस्त कार्यवाही न्यायिक प्रक्रिया के तहत नियमानुसार की जा रही है। प्रार्थी ने तहत न्यायालय में विचाराधीन दावा को देरीना करने के लिए न्यायालय श्रीमान के यहॉ मुन्तकिली प्रार्थना पत्र लगाया गया है। प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। उपखण्डाधिकारी बयाना से प्राप्त टिप्पणी का अवलोकन किया।

.....3

जिला कलक्टर
भरतपुर

केवल इस आधार पर कि अप्रार्थी उपकोषाधिकारी बयाना के पद पर पदस्थापित है, वह अपने पद के प्रभाव में निर्णय अपने पक्ष में करा लेगा स्वीकार योग्य नहीं रहता है। न्यायिक अधिकारी अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों, तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों के आधार पर स्वतंत्र विवेक से निर्णय पारित करता है। प्रार्थी ने अपने मौखिक लगाये गये आरोपों के समर्थन में ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य हमारे समक्ष पेश नहीं किया गया है जिससे उसके मौखिक कथनों की पुष्टी हो सके एवं जिससे यह प्रतीत हो कि सम्बन्धित न्यायालय से उसे निष्पक्ष न्याय प्राप्त होने की संभावना प्रभावित होगी। अतः मात्र आशंका, अनुमान अथवा सामान्य आरोपों के आधार पर स्थानान्तरण का पर्याप्त आधार निर्मित नहीं होता। अस्तु प्रार्थना पत्र काबिल खारिज के रहता है।

अतः आदेश है कि –

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र मुन्तकिली खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति उपखण्डाधिकारी बयाना को प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 13.05.2026 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(कमर उल जमान चौधरी)
जिला कलक्टर,
भरतपुर